CON. 3. 4.1.47
1000

अंक 4
संख्या 1

सोमवार
14 जुलाई
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

			पृष्ठ
1.	परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना	...	1
2.	बर्मा विधान परिषद के सभापति का संदेश	...	14
3.	आर्डर आफ बिजिनेस कमेटी की रिपोर्ट तथा नियमों में संशोधन	...	14
4.	कमेटियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन	...	32
5.	उपाध्यक्षों का चुनाव	...	35
6.	परिशिष्ट	...	39

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, 14 जुलाई, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में सोमवार तारीख 14 जुलाई सन् 1947 ई. को प्रातःकाल 10 बजे माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना

***अध्यक्षः** जिन सदस्यों ने अभी तक अपने परिचय-पत्र पेश न किये हों और रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों, वे अब ऐसा कर सकते हैं।

मंत्री ने हाजी अब्दुल सत्तार हाजी इशहाक सेठ का नाम पुकारा।

***श्री देशबन्धु गुप्त** (दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक वैधानिक आपत्ति पेश कर सकता हूं ?

माननीय सदस्य से हस्ताक्षर कराने के पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि उनसे यह प्रश्न पूछना कि वे अब भी दो राष्ट्रों के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं या नहीं, क्या हाउस के लिये उचित नहीं होगा ? मैं यह मानता हूं कि एक स्वतन्त्र और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था होने के नाते तथा विभाजन के विचार से, जिसका निश्चय हो चुका है, हमें सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये और यह निश्चय करना चाहिये कि जो सदस्य लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव को, जो कि पास हो चुका है, स्वीकार नहीं करेगा वह रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है।

श्रीमान् जी, इस विषय पर मैं आपका निर्धारित निर्णय चाहता हूं।

***अध्यक्षः** यह एक रोचक विषय उपस्थित किया गया है। पर मैं इसको वैधानिक आपत्ति नहीं मानता हूं। यह तो उन सदस्यों के अधिकार का प्रश्न है जो कि निर्धारित प्रणाली के अनुसार विधान-परिषद् के सदस्य चुने गये हैं। कोई भी चुना हुआ सदस्य जब तक इस्तीफा न दे हाउस में बैठने का अधिकारी है। इसलिये मेरे ख्याल से मैं किसी भी नियमानुसार चुने गये सदस्य को रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से नहीं रोक सकता हूं।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेज़ी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

तत्पश्चात् निम्न सदस्यों ने अपने परिचय-पत्र पेश किये और रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किये:

मद्रास

1. हाजी अब्दुलसत्तार हाजी इशहाक सेठ।
2. बी. पोकर साहब बहादुर।
3. महबूबअली बेग साहब बहादुर।
4. के.टी.एम. अहमद इब्राहीम साहब बहादुर।

बम्बई

5. माननीय मि. इस्माइल इब्राहीम चुन्द्रीगर।
6. डा. बी.आर. अम्बेडकर।
7. मि. अब्दुलकादर मुहम्मद शेख।

पश्चिमी बंगाल

8. पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र।
9. श्री देवीप्रसाद खेतान।
10. श्रीमती रेणुका रे।
11. श्री डम्बरसिंह गुरंग।
12. मि. आर.ई. प्लेटल।
13. श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन।
14. श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन।
15. श्री रागिव अहसन।
16. श्री नजीरुद्दीन अहमद।
17. मि. अब्दुल हमीद।
18. श्री सतीशचन्द्र सामन्त।
19. श्री सुरेशचन्द्र मजूमदार।
20. श्री बसन्तकुमार दास।
21. श्री सुरेशमोहन घोष।
22. श्री अरुणचन्द्र गुहा।

संयुक्त प्रान्त

23. चौधरी खलीकुज्जमा।
24. नवाब मुहम्मद इस्माइल खाँ।
25. मि. अजीज अहमद खां।
26. बेगम ऐज़ाज़ रसूल।
27. मि. एस.एम. रिजवन अल्लाह।

पूर्वी पंजाब

28. माननीय सरदार बलदेव सिंह।
29. दीवान चमनलाल।
30. मौलाना दाऊद गजनवी।
31. ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर।
32. शेख महबूब इलाही।
33. सूफी अब्दुल हमीद खां।
34. चौधरी रणवीर सिंह।
35. चौधरी मुहम्मद हसन।
36. श्री विक्रमलाल सोंधी।
37. प्रोफेसर यशवन्त राय।

बिहार

38. मि. तजम्मुल हुसेन।
39. मि. सैयद जफर इमाम।
40. मि. लतीफुर्रहमान।
41. मि. मुहम्मद ताहिर।

मध्य प्रान्त और बरार

42. काजी सैयद करीमुद्दीन।

आसाम

43. मौलवी सैयद मुहम्मद सादुल्ला।

रियासतें—मैसूर

44. सर ए. रामास्वामी मुदालियर।
45. श्री के. चेंगलराया रेड्डी।
46. श्री गुरुव रेड्डी।
47. श्री एस.वी. कृष्ण मूर्ति राव।
48. श्री एच. चन्द्रशेखरया।
49. मि. मुहम्मद शरीफ।
50. श्री टी. चन्नियाह।

ग्वालियर

51. श्री एम.ए. श्रीनिवासन।
52. लेफ्टिनेंट कर्नल बृजराज नारायण।
53. श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय।
54. श्री रामसहाय।

बड़ौदा

55. श्री चुन्नीलाल पुरुषोत्तमदास शाह।

उदयपुर

56. श्री मोहन सिंह मेहता।
57. श्री माणिक्यलाल वर्मा।

जयपुर

58. राजा सरदारसिंह जी बहादुर (खेतड़ी)।

अलवर

59. श्री (डा.) एन.बी. खरे।

कोटा

60. लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर दलेल सिंह जी।

पटियाला

61. सरदार जयदेव सिंह।

सिक्किम और कूच बिहार

62. श्री हिम्मतसिंह जी.के. महेश्वरी।

त्रिपुरा, मणिपुर और खासी रियासतें

63. श्री जे.एस. गुहा।

रामपुर और बनारस

64. मि. बी.एच. ज़ैदी।

पूर्वी राजपूताना की रियासतें

65. महाराज मानधाता सिंह।
66. महाराज नगेन्द्र सिंह।
67. श्री गोकुलभाई भट्ट।

पश्चिमी भारतवर्ष की और गुजरात की रियासत

68. कर्नल महाराज श्री हिम्मतसिंह जी।
69. श्री ए.पी. पाटनी।
70. श्री गगनविहारी लल्लूभाई मेहता।
71. श्री भवनजी आरियन खीमजी।
72. खानबहादुर फिरोज कोठावाला।
73. श्री विनायक राय बी. वैद्य।

दक्षिण की रियासतें

74. श्री एम.एस. अणे।
75. श्री बी. मुनावल्ली।

पूर्वी रियासतें

76. रायसाहब रघुराज सिंह।

77. रायबहादुर लाला राजकंवर।

78. श्री सारंगधर दास।

79. श्री युधिष्ठिर मिश्र।

अवशिष्ट दल

80. श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता।

***अध्यक्षः** क्या कोई और सदस्य हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों ?

मैं समझता हूं कि यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों।

श्री बालकृष्ण शर्मा (संयुक्त प्रांतः जनरल): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रथम इसके कि आप आज की कार्यवाही को प्रारम्भ करें, मैं अपने कुछ प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करूं।

अध्यक्षः जो कायदा अब तक रहा है वह यह है कि जब कोई सवाल पेश होता है तो उसके सम्बन्ध में कोई बात उठती है तो उस पर कहने की इजाजत दिये जाने या न दिये जाने पर ख्याल किया जाता है। अभी कोई सवाल पेश नहीं हुआ है। मैं क्या जानूं कि आप क्या कहेंगे। मैं समझता हूं कि जो कुछ आप कहना चाहेंगे अगर वह ठीक होगा तो उसकी इजाजत दी जायेगी।

श्री बालकृष्ण शर्माः मेरी प्रार्थना यह है कि यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि इस समय कोई सवाल पैदा नहीं हुआ है फिर भी यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना आशय समझाऊं और फिर उसमें किसी प्रकार का विवाद हो सकता है।

अध्यक्षः मुझे तो मालूम नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पहले मिलकर कुछ कह देते तो मैं आपको आज्ञा दे सकता था। अभी

कोई सवाल पैदा नहीं हुआ है तो मैं इस मौके पर आपको कुछ कहने की इजाजत कैसे दूं ?

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा): जनरल): अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि आप कार्यक्रम के किसी अन्य विषय को लें, मैं आपका ध्यान उस सरकारी विज्ञप्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि उपसमिति की सिफारिश के अनुसार सशस्त्र सेना के बटवारे सम्बन्धी निर्णय पर है। श्रीमान् जी, यह कहा गया है कि यह निर्णय अन्तिम है। यह कहा गया है कि सशस्त्र सेना (Armed Forces Reconstruction Sub-Committee) का पुनर्निर्माण की सर्वसम्मति प्राप्त सिफारिश पर आश्रित साम्प्रदायिक आधार पर यह एक आसान मोटा-मोटा विभाजन है। यह भी कहा गया है कि यह जहाज इत्यादि के बटवारे के सम्बन्ध में है और प्रत्येक उपनिवेशों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखा गया है।

***अध्यक्ष:** मैं नहीं समझता हूं कि विधान-परिषद् किसी प्रकार भी इस स्थिति में अखबारों के समाचारों से कोई सम्बन्ध रखती है। इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

***श्री विश्वनाथ दास:** उसके औचित्य पर विचार करने के लिये आपके सामने मैं केवल उसकी विषय-सूची ही पेश कर रहा हूं। यह भारतवर्ष की सम्पत्ति सम्बन्धी विभाजन के प्रमुख प्रश्न से सम्बन्ध रखता है और इसने हम सबको चिंतित कर रखा है। व्यावहारिक रूप से यह हाउस धारा-सभा तथा सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था है। यह प्रश्न सब व्यक्तियों के मस्तिष्कों में हलचल पैदा कर रहा है।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से आप गलत धारणाओं में पड़े हुये हैं। यह संस्था अभी तक धारा-सभा नहीं है। जिस प्रकार कि यह अब तक कार्य करती चली आ रही है, यह एकमात्र विधान-परिषद् ही है। यदि यह धारा-सभा होती तो शायद आप इस प्रश्न को ला सकते थे। इस समय तो मेरे विचार से यह प्रश्न उठता ही नहीं है।

***श्री एच.आर. गुरुव रेड्डी** (मैसूर): मैसूर के चुने हुए सदस्यों की ओर से मैं अध्यक्ष महोदय को यह सूचित करूंगा कि हमको अभी तक किसी प्रकार

[श्री एच.आर. गुरुव रेड्डी]

का साहित्य नहीं दिया गया है, विशेषकर कार्य प्रणाली नियम सम्बन्धी। हमने दफ्तर से भी मांगा पर हमें नहीं मिला। हम कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं; पर उपरोक्त कारणवश असमर्थ हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि दफ्तर को आवश्यक आदेश देने की कृपा करें।

***अध्यक्ष:** मन्त्री इस बात को नोट करें और आवश्यक प्रबन्ध करें।

***श्री एच.जे. खांडेकर** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): सूचना प्राप्त करने हेतु मैं यह जानना चाहूंगा कि रियासतों के सदस्यों में से जिन्होंने अपने प्रमाणपत्र पेश किये हैं परिगणित जातियों के कितने सदस्य हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किये हैं ?

***अध्यक्ष:** यह दफ्तर इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। संभव है कुछ समय पश्चात् आपको मन्त्री से पूरी जानकारी हासिल हो सकती है।

***मि. तजम्मुल हुसेन** (बिहार: मुस्लिम): क्या मैं आपसे यह जान सकता हूं कि आज यहां सिलहट का कोई सदस्य उपस्थित है या नहीं।

***सरदार के.एम. पनिक्कर** (बीकानेर): एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। क्या इस विधान-परिषद् में प्रश्नों के लिए कुछ समय नियत है ?

अध्यक्ष: [कोई समय नियत नहीं है। मैंने इसे सदस्यों की उदारता पर छोड़ दिया है। आशा है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।]

हजरात, आज से ढाई महीने पहले कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली का एक जलसा हुआ था। उस वक्त से और आज के दर्मियान बहुत से ऐसे वाकयात हो गये हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर देना मुनासिब समझता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि 3 जून को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान निकला और उस बयान का असर हिन्दुस्तान की सियासत पर बहुत ज्यादा पड़ा है। एक असर तो इसका यह हुआ कि सारे हिन्दुस्तान के टुकड़े किये गये, और इसके साथ-साथ दो सूबों को भी टुकड़े-टुकड़े करने का निश्चय हो चुका है, और इस बयान की वजह से इस वक्त मैं जहां तक जानता हूं हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट में और इन दो सूबों की गवर्नमेंट के अन्दर बटवारे की बातचीत भी चल रही है और बटवारे

का काम भी हो रहा है। इसके अलावा इस कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के मेम्बरों में भी कुछ थोड़ी-बहुत अदल-बदल हो गई है। जो मेम्बर पहले बंगाल और पंजाब से आये हुए थे, उनके बदले में फिर इन दो सूबों में जो अब 4 सूबे हो गये हैं अलग-अलग करके चुनाव हुये हैं, और कुछ पहले वाले और कुछ नये मेम्बर इन दोनों सूबों से चुन कर आये हैं। बहुत सी स्टेट जो अब तक इस कांस्टीट्युयेंट असेम्बली में शरीक नहीं थी वह भी आज के इस जलसे में शरीक हुई हैं और मुस्लिम लीग के मेम्बर जो अब तक कांस्टीट्युयेंट असेम्बली से अलग थे वह भी आज शरीक हो रहे हैं।

कांस्टीट्युयेंट असेम्बली ने अपनी तरफ से कई सब-कमेटियां मुकर्रर कर दी थीं और इन सब-कमेटियों ने आज तक जो काम किया है उसकी रिपोर्ट अखबारों में भी छप चुकी है और मेम्बरों के पास भी पहुंच गयी है। चूंकि सब-कमेटियों की रिपोर्ट अभी तैयार हुई है और वह कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के जलसे में मौके पर पेश की जायेगी, और इन पर गौर करके आपको अपनी राय देनी होगी। इनमें से एक कमेटी इस काम के लिये मुकर्रर की गई थी जो सूबों के लिये कांस्टीट्यूशन बनाये और उसका एक नमूना तैयार करे; दूसरी कमेटी इसलिये बनाई गई थी जो हिन्दुस्तान के लिये कांस्टीट्यूशन बनायेगी और उसके लिये ऐसे उसूल तय करके लोगों के सामने पेश करेगी जिनके मुताबिक कांस्टीट्यूशन तैयार किया जाये, और एक तीसरी कमेटी इस काम के लिये बनाई गई थी जो हिन्दुस्तान के कांस्टीट्युशन में क्या-क्या अख्तियार होंगे, इन चीजों पर गौर करके रिपोर्ट करेगी। इन तीनों कमेटियों की रिपोर्टें तैयार हैं। इनमें से एक पेश हो चुकी है और दो कमेटियों की रिपोर्टें आपके सामने आयेंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन पर आप गौर करके इस जलसे के अन्दर तय कर देंगे। मेरा इरादा यह है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। जब इन कमेटियों की रिपोर्ट आपके यहां मंजूर हो जाये तो कुछ लोग इस काम पर मुकर्रर किये जायें जो कांस्टीट्यूशन का मसविदा बाजाब्ता तैयार करें। और एक कमेटी ऐसी मुकर्रर की जाये जो इस मसविदा को खूब गौर से देखकर और विचार करके जब फिर कांस्टीट्युयेंट असेम्बली का जलसा हो तो वहां अपनी राय पेश कर दे। तब यह मसविदा यहां पर अगर पेश हो तो उस पर अच्छी तरह से गौर करके कांस्टीट्यूशन बन जायेगा।

एक और ऐसी सब-कमेटी जो एडवाइज़री कमेटी कहलाती है, बनाई गयी थी। मगर उसकी कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई। इसमें माइनोरिटी सब-कमेटी, फंडामेंटल

[अध्यक्ष]

राइट्स सब-कमेटी तथा ट्राइबल एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी बनाई गई, और वह तीनों इसके जुज़ हैं। इनमें से फंडामेंटल राइट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है मगर दो कमेटियों की रिपोर्टें अभी तैयार नहीं हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो कमेटियों की रिपोर्ट भी बहुत जल्द आ जायेगी ताकि वह भी जब कांस्टीट्यूशन तैयार हो उसमें वह शरीक कर दी जाये और आखिरी कांस्टीट्यूशन पूरा-पूरा हो जिसमें सब बातें रखी जायें।

मेरी उम्मीद ऐसी है कि अगर यह काम ठीक तरह से किया जायेगा तो शायद अक्टूबर के महीने में हम लोग कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के जलसे में गौर करके विधान पास कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि कांस्टीट्युयेंट असेम्बली का काम जल्द किया जाये क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंडिया इंडिपेन्डेंस बिल पेश हुआ है उसके मुताबिक कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के मेम्बर लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर हो जायेंगे; और लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने ही से बहुत सी बातें पेश हैं जिन पर गौर करना जरूरी है और कुछ दिनों के बाद बजट का भी मौका आ जायेगा। तो जितनी जल्दी हम कांस्टीट्युयेंट असेम्बली का काम खत्म कर सकेंगे उतनी ही जल्दी लेजिस्लेटिव असेम्बली के काम के लिये हमको मौका मिलेगा, और नवम्बर के बाद इस काम के लिये हमको पूरा मौका रहेगा। मगर मैं यह नहीं चाहता हूं कि कांस्टीट्युयेंट असेम्बली का काम इतनी तेजी से करें कि जिसमें कोई काम बिगड़ जाये। उसमें हर चीज अच्छी तरह से सोच कर करनी होगी। मैं यह प्रोग्राम आपके सामने रखता हूं तो इसका मतलब हरगिज़ यह नहीं है कि चाहे काम बिगड़े या बने, मगर काम जल्द से जल्द खत्म हो जाये। इसलिये जितना समय आप मुनासिब समझते हैं, देना चाहिये। अगर इसका ख्याल रख करके कि आइंदा हमको लेजिस्लेटिव असेम्बली बनाकर भी दूसरे काम करने हैं तो हमको इस काम को जल्द खत्म कर देना चाहिये।

जो नये मेम्बर आज आये हैं उनकी तादाद काफ़ी है। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलजुल कर कांस्टीट्युयेंट असेम्बली का काम जल्द से जल्द खत्म करेंगे और ऐसा कांस्टीट्यूशन तैयार कर सकेंगे जिससे सब खुश होंगे और सब राज़ी होंगे।

श्री एच. वी. कामत (सी. पी. तथा बरार: जनरल): जनाब सदर, कृपया आप यह बतला सकेंगे कि रियासतों के जितने नुमाइन्दे आज इस असेम्बली में शामिल हुये हैं उनमें से कितने 'इलैक्टेड' हैं और कितने 'नोमीनेटेड' हैं।

अध्यक्ष: मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको बाद में खबर कर दी जायेगी।

श्री श्रीप्रकाश: सभापति जी, जहां तक मुझे मालूम है जिस वक्त इस कांस्टीट्युयेंट असेम्बली का चुनाव हुआ था यह समझा गया था कि इसके ऊपर किसी बाहरी ताकत का कोई भी अख्तयार नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि पंजाब और बंगाल के बारे में जो तबदीलियां हुई हैं। उसमें आपसे राय ली गयी थी या नहीं ? क्या यह तबदीलियां उन कायदों के मुताबिक हुई हैं जिनको असेम्बली में बनाया गया था, मैं जहां तक मानता हूं हमारे कायदों के मुताबिक इसके मेम्बर उस वक्त अलग हो सकते हैं जब कि इस्तीफ़ा दें। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जो पंजाब बंगाल के पुराने मेम्बरान इस वक्त मेम्बर नहीं हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था या वाइसराय के ऐलान की वजह से वह इसकी मेम्बरी से मौकूफ (खारिज) हुये और दूसरे इन्तखाबात (चुनाव) हुये। अगर ऐसा हुआ, और यह बात ठीक मालूम होती है, तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपकी खुद की राय इसके मुताल्लिक़ क्या है, और आप इसे मुनासिब समझते हैं यह नहीं ? हमसे यह कहा गया था कि जब एक मर्तबा कांस्टीट्युयेंट असेम्बली का इन्तखाब हो गया तब न तो इसमें कोई तबदीली हो सकती है और न कोई बाहर का आदमी इस पर अख्तियार रख सकता है। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वाइसराय के एलान की वजह से यह सब तब्दीली हुई जो नामुनासिब (अनुचित) और गैर कानूनी (नियम विरुद्ध) है।

अध्यक्ष: यह आपका कहना सही है कि वायसराय ने जो एलान किया है उस एलान (घोषणा) के मुताबिक कार्यवाही हुई है और उस एलान के बाद उन्होंने खुद कार्यवाहियां की हैं। मगर मैं जहां तक समझता हूं सब लोगों ने इन कार्यवाहियों को मंजूर कर लिया है और हमने भी मंजूर कर लिया है। इसलिये यह सवाल नहीं उठता है और जो मेम्बर पहले चुने गये उनमें से किसी ने आज तक इस हक को खत्म कर दिये जाने के खिलाफ़ कोई दरख्वास्त नहीं दी है। जो नये मेम्बर इलेक्ट किये गये हैं वे इस असेम्बली के मेम्बर बन गये और वे इसकी कार्यवाही चलायेंगे।

श्री बालकृष्ण शर्माः सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपके वक्तव्य के सम्बन्ध में एक बात है जिसको कि मैं सभा के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि आपने अपने प्रारम्भिक भाषण में आगत महानुभावों का स्वागत किया है और इस बात की आशा भी प्रकट की है कि वह मिलजुल कर हमारी इस विधान-परिषद् के कार्य में सहायक होंगे और हमारे भारतवर्ष के लिये वह एक ऐसा विधान बनायेंगे.....।

अध्यक्षः आप कोई भाषण दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण शर्माः मैं सवाल पूछ रहा हूं।

अध्यक्षः वह सवाल इस वक्त कर लीजिये।

श्री बालकृष्ण शर्माः सवाल मेरा यह है कि जब आपने यह आशा प्रकट की है तब आप इस बात को नहीं भूले होंगे कि इस सभा में कुछ महानुभावों का चुनाव, जिनकी संख्या काफ़ी अच्छी है, एक विशेष प्रकार से हुआ है, और उन्होंने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के ऊपर विधान निर्मात् परिषद् में भाग लिया है।

अध्यक्षः यह सवाल पूछ रहे हैं या आपने भाषण शुरू कर दिया है?

श्री बालकृष्ण शर्माः क्या आपको इस बात का आश्वासन मिल चुका है कि जिन्होंने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर अपना चुनाव करवाया है, वे इस समय आपकी कार्यवाही में सहायक होकर अपने उस पुराने सिद्धान्त का परित्याग करके आपके काम को आगे बढ़ाने के लिये सहयोग करेंगे ?

अध्यक्षः पहले एक ऐसा ही सवाल देशबन्धु जी गुप्त ने किया था। मैंने उसका जवाब उस वक्त दिया था कि यहां पर जो मेम्बर चुन कर आये हैं, उस क़ायदे के मुताबिक चुन कर आये हैं और उनको मुझे यहां से हटाने का अख्तियार नहीं है। मैंने इस वजह से कोई आश्वासन नहीं मांगा है और इसलिये मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। मैंने सब मेम्बरों को मेम्बर मान लिया है जो चुन कर आये हैं और हम उस काम को कर रहे हैं। आप सबकी कार्यवाही इस बात को ज़ाहिर करेगी कि कौन क्या करना चाहता है और किस का क्या इरादा है।

***एक माननीय सदस्यः** श्रीमान् जी, हम आपका उत्तर हिन्दी में नहीं समझ सके।

***अध्यक्षः** प्रश्न हिन्दी में किया गया था और मुझे भी उत्तर हिन्दी में देना पड़ा। यदि कोई सदस्य अंग्रेज़ी में प्रश्न करेगा तो मैं उसका उत्तर अंग्रेज़ी में दूंगा।

***पंडित गोविन्द मालवीय** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): श्रीमान् जी, विषय को स्पष्ट करने के लिये मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरे माननीय मित्र श्री श्रीप्रकाश ने एक प्रश्न उपस्थित किया है। वह प्रश्न यह है कि इस विधान-परिषद् के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था होते हुये तथा इस विचार को दृष्टि में रखते हुये कि जो सदस्य पहले चुने गये थे उन्होंने पद त्याग नहीं किया है; अन्य सदस्यों ने किस प्रकार स्थान प्राप्त कर लिये हैं। श्रीमान् जी, आपने यह बतलाया कि प्रत्येक व्यक्ति इस स्थिति से सन्तुष्ट है, इसलिये वह ठीक है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या स्थिति ऐसी नहीं है कि यदि देश का कोई भाग देश के बाहर होने का निर्णय करता है या उससे पृथक् होता है, राज़ी से या नाराज़ी से, यदि प्रान्त के दो भाग अपने ही वोटों के द्वारा ऐसा निर्णय करते हैं तो क्या देश के इन भागों के सदस्यों को इस विधान-परिषद् के सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है ? मैं इस विषय को स्पष्ट कराना चाहता हूं क्योंकि भविष्य में यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा। मेरा निवेदन है कि जिस समय देश का कोई भी भाग भारतवर्ष का अंग न बने रहने का निर्णय करता है तो उसी समय से वह स्वतः ही इस परिषद् से सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों को खो बैठता है।

***अध्यक्षः** मैं यह मानता हूं कि प्रान्त के उस भाग के जो कि पृथक हो गया है किसी सदस्य को यहां बैठने का अधिकार नहीं है और मेरे विचार से ऐसा कोई भी सदस्य यहां नहीं है।

***श्री एच.जे. खांडेकरः** श्री सिधवा के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

***अध्यक्षः** श्री सिधवा आपके प्रतिनिधि हैं, *(हंसी)* और आपने ही मध्य प्रान्त और बरार से उनको चुना है।

बर्मा विधान-परिषद् के सभापति का संदेश

***अध्यक्ष:** अब हम कार्यक्रम के दूसरे मद् को लेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे भेजे हुये संदेश के उत्तर में बर्मा विधान-परिषद् के सभापति का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसे सुनकर यह परिषद् प्रसन्न होगी:

''अपनी तथा विधान-परिषद् की ओर से मैं आपके हितकारी तथा सद्भावयुक्त प्रिय संदेश के लिये आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारी विधान-परिषद् तथा हमारे देश ने आपके संदेश का बहुत ही सम्मान किया है। आपके तथा भारतीय विधान-परिषद् के द्वारा हमारे विचार-विमर्श के प्रारम्भ करते ही इस प्रकार के शुभ सम्वाद और शुभकामनायें स्वतंत्र और संयुक्त बर्मा के विधान निर्माण कार्य में हमारे लिये प्रेरणा तथा उत्साह का स्रोत होंगी। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि आपके देश से अत्यन्त हार्दिक और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना और विश्व शांति तथा सुख के लिये यथासम्भव हर प्रकार की सहायता प्रदान करना स्वतंत्र बर्मा अपना प्रमुख कर्तव्य तथा विशेष सम्मान समझेगा।

क्या मैं इस अवसर पर आपको तथा सर बी.एन. राव को उन सब कृपा पूर्ण उपकारों तथा सहायताओं के लिये, जो कि हमारे वैधानिक सलाहकार के नई दिल्ली में ठहरने के अल्पकाल में प्रदान की गई थीं, और आपके प्रकाशन की मुफ्त भेंट के लिये जो कि हमारे कार्य में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही हैं धन्यवाद देने का लाभ उठा सकता हूं ?

इस देश की जनता तथा बर्मा की विधान-परिषद् की ओर से आपको तथा आपके द्वारा भारतवासियों और भारतीय विधान-परिषद् के सदस्यों को उनके परिश्रम की सफल परिणाम प्राप्ति के लिये तथा एक स्वतंत्र और संयुक्त भारत की स्थापना करने के प्रिय उद्देश्य की शीघ्र प्राप्ति के लिये शुभकामनायें भेजने के सुअवसर प्राप्त कर सकता हूं।'' (*करतल ध्वनि*)

आर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की रिपोर्ट

कार्यक्रम में आगे आने वाला विषय श्री मुंशी द्वारा पेश किये जाने वाला प्रस्ताव है।

***श्री के.एम. मुंशी:** (बम्बई: जनरल): मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं:–

''यह निश्चित किया कि विधान-परिषद् अपनी 25 जनवरी, सन् 1947 ई. के प्रस्ताव के अनुसार नियुक्त 'आर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी' की आगे की रिपोर्ट करे।''

श्रीमान् जी, विषय निर्धारिणी समिति (आर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी) की रिपोर्ट को पेश करने में मुझे बहुत खुशी है। जैसा कि हाउस अनुभव करेगा, परिषद् की पिछली बैठकों में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उससे यह सर्वथा भिन्न है। पिछले अधिवेशन से अब तक इस देश में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप यह रिपोर्ट आवश्यक हो गई है। देश के कुछ भाग भारतवर्ष से तथा विधान-परिषद् की अधिकार सीमा से अलग हो गये हैं। इस सप्ताह के अन्त तक ब्रिटिश पार्लियामेंट उस कानून को स्वीकार कर लेगा जिसके द्वारा 14 अगस्त सन् 1947 ई. से भारत स्वतंत्र हो जायेगा। यह वह घटना है जिसकी प्रतीक्षा हम शताब्दियों से कर रहे हैं। अन्तिम बात यह है कि 16 मई की योजना द्वारा जो बन्धन विधान-परिषद् पर लगाये थे वे अब हट गये। अत: इन परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक है कि नये वातावरण में उन नई परिस्थितियों का, जो कि उत्पन्न हो चुकी हैं, सामना करने के लिये विधान-परिषद् का कार्यक्रम फिर से बनाया जाये।

श्रीमान् जी, मैं यह बताने का साहस कर सकता हूं कि 16 मई की योजना का समस्त व्यावहारिक प्रयोजन के लिये अन्त हो चुका है और हमारी सर्वाधिकार प्राप्त संस्था पूर्ण स्वतंत्र वातावरण में भावी विधान के पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर हो रही है। रिपोर्ट के पैरा में जिस परिवर्तन का उल्लेख किया गया है उसका मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा। 16 मई की योजना का एक आशय था... हर तरह से देश की अखंडता का निर्वाह करना। 16 मई की योजना में एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का अखंडता रक्षक वेदी पर बलिदान किया गया था। योजना की सूक्ष्म परीक्षा करने के पश्चात् हम लोगों में से अनेकों को यह विदित हुआ कि वह इतनी अशक्त अखंडता थी कि उत्पन्न होते ही नाश को प्राप्त हो जाती। 16 मई की योजना के अन्तर्गत दो स्थितियां थीं, प्रारम्भिक स्थिति और संघीय विधान स्थिति।

[श्री के.एम. मुंशी]

अनेकों कमेटियों ने जिसको इस हाउस ने सहर्ष नियुक्त किया था, इन कठिनाईयों के होते हुये भी किसी प्रकार की एक दृढ़ और यथा नाम तथा गुण-युक्त सरकार बनाने का परिश्रम किया, परंतु मैं यह स्वीकार करूंगा कि उनका परिश्रम बहुत अधिक फलीभूत नहीं हुआ।

यदि मैं अपने भावों को व्यक्त कर सकता हूं तो वस्तुतः 16 मई की योजना की बारम्बार परीक्षा करने पर वह मुझे बहुधा पितृघाती के उस बोरे के समान प्रतीत हुई जिसका आविष्कार प्राचीन रोमन कानून द्वारा किया गया था। जैसा कि आपको विदित होगा कि रोम के प्राचीन फौजदारी कानून के अनुसार जब कि कोई व्यक्ति बहुत घृणित अपराध करता था तो वह एक बन्दर, एक सांप और एक मुर्गे के साथ एक बोरे में बन्द कर दिया जाता था और उस बोरे को टाइवर नदी में डाल दिया जाता था जब तक वह डूब न जाये।

जितना अधिक हमने इस योजना पर विचार किया उतना ही अधिक हमने इस योजना में अल्पसंख्यकों को अलग होने के लिऐ उत्सुक पाया, साम्प्रदायिक भागों को परस्पर घातक पाया और अपने लिए दोहरा बहुसंख्यक खंड अपनी ही सत्ता को विषमय करते हुए पाया। अन्य सदस्य चाहे जो कुछ विचार रखें, मैं तो यह कहता हूं कि ईश्वर को धन्यवाद है कि आखिरकार हम उस बोरे के बाहर निकल आये। उस योजना में पड़ने के लिये हमारे यहां न साम्प्रदायिक विभाग और न दल हैं, न वैसी विस्तारपूर्ण कार्यप्रणाली है जो योजना में बताई गई थी, न दोहरा बहुसंख्यक वाक्यखंड है, न अवशिष्ट अधिकारयुक्त कोई प्रान्त है, न प्रांतों के लिए बाहर निकलने का विकल्प है, न दस वर्ष बाद पुनर्विचार करना है और न केन्द्र के लिए अधिकारों की केवल चार श्रेणियां ही हैं। अतः हम अपनी इच्छानुसार एक ऐसा संघ बनाने में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जिसका केन्द्र जितना हम बना सकते हैं उतना शक्तिशाली हो....पर उस बात के अधीन कि रियासतों को इस महान कार्य में, अधिकारों की चार श्रेणियों के आधार पर तथा अन्य ऐसे और अधिकारों के आधार पर जिनको वे समझौते द्वारा केन्द्र में आने के लिए पसंद करें, मिलाना होगा। श्रीमान्जी, इसलिए व्यक्तिगत रूप में यह जो परिवर्तन हुआ है उस पर मुझे तो कुछ भी खेद नहीं है। हमारा अब देश एक रूप है, यद्यपि हमारे सीमा-प्रदेश सिकुड़ गये हैं अर्थात् कुछ निकट आ गये हैं–इस समय हम केवल ऐसी ही आशा करें–और अब हम अपने शक्ति और स्वतंत्रता

के प्रिय उद्देश्य की ओर बिना किसी हिचकिचाहट के अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए उस रिपोर्ट पर जो कि हाउस के सामने पेश की जा चुकी थी पुनर्विचार होना चाहिये। यह जानकर सदस्य प्रसन्न होंगे कि अधिकांश कार्य समाप्त हो ही चुका है। विधान के मुख्य निर्माण पर प्रान्तीय विधान कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सदस्यों में घुमाई जा चुकी है और समयानुसार एक या दो दिन में वह प्रस्तुत की जायेगी। संघीय विधान के निर्माण पर संघीय विधान कमेटी ने भी श्वेतपत्र–यदि मैं उसे ऐसा कह सकूं–तैयार कर ही लिया है। इस बैठक में वह भी हाउस के समक्ष रखा जायेगा।

मैं हाउस को स्मरण करा दूं कि यूनियन पावर्स कमेटी की रिपोर्ट पिछले अधिवेशन में हाउस के समक्ष रखी गई थी। उसमें उन चार श्रेणियों में दिये हुये अधिकारों का विस्तृत विवरण था जिनका उल्लेख 16 मई की योजना में किया गया था। परिवर्तन हो जाने के कारण इन अधिकारों की फिर से जांच करनी पड़ी तथा यूनियन पावर्स कमेटी की एक पूरक रिपोर्ट भी हाउस के समक्ष विचारार्थ रखी जायेगी। रिपोर्ट में यह पेश किया गया है कि हाउस द्वारा इन सिद्धान्तों के स्वीकार किये जाने के पश्चात् उनको मस्विदा बनाने वाली उस कमेटी को दिया जायेगा जिसकी नियुक्ति इसी आशय के लिए होगी और जो भारतीय संघ के विधान के लिए आवश्यक बिल की रूप-रेखा बनाने का कार्य करेगी।

जैसा कि हाउस को विदित है रिपोर्ट के तीसरे पैरे के सम्बन्ध में नये मौलिक अधिकारों के अनेकों प्रस्ताव सलाहकार समिति के पास फिर से भेजे गये हैं। अल्पसंख्यक कमेटी (माइनोरिटी कमेटी) को अब भी अनेकों विषयों की विशेषतर अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों की जांच करनी है। कबायली विशेष कमेटियां कार्यरत हैं। उनमें से कुछ ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, और मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ का कार्य बिल्कुल ही न हो सकेगा। अभी इन समस्त विषयों पर सलाहकार कमेटी को निर्णय करना है। वे विषय सलाहकार कमेटी के समक्ष रखे जायेंगे और तब रिपोर्ट पेश होगी।

तीसरे पैरे के अंतिम वाक्य में यह सुझाव रखा गया है कि सलाहकार कमेटी अगस्त में अपना कार्य समाप्त कर देगी और उसकी सिफारिशें सीधी मस्विदा बनाने वाली कमेटी के पास जायेंगी। यह कमेटी एक्ट की आवश्यक व्यवस्थाओं की रूप रेखा बनायेगी और तब वे आगे आने वाले अधिवेशन में बिल की कुछ व्यवस्थाओं के रूप में हाउस के समक्ष रखी जायेंगी। लेकिन श्री सन्तानम् ने मेरे इस प्रस्ताव

[श्री के.एम. मुंशी]

पर एक संशोधन पेश किया है। जिसका हाउस के एक बड़े भाग ने पक्ष-समर्थन किया है। मैं समझता हूं कि जिस विचार को हाउस के अधिकांश सदस्यों ने अपनाया है वह यह है कि जहां तक अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विधान में अपनाये जाने वाले सिद्धांतों से सम्बन्ध है, उनको सीधे मस्विदा बनाने वाली कमेटी को नहीं भेजना चाहिए, बल्कि उनको इस अधिवेशन में इसी हाउस के समक्ष रखना चाहिए। सिद्धांतों पर निर्णय करने के पश्चात् उनको उचित व्यवस्था की रूप-रेखा देने के लिये मस्विदा बनाने वाली कमेटी के पास भेज दिया जाये। यदि हाउस का यह विचार है तो पैरा 3 के अंतिम वाक्य को इसके अनुकूल बनाते हुये भी सन्तानम् का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा।

रिपोर्ट का चौथा पैरा बतलाता है कि इस वर्ष में अक्टूबर के अन्त तक परिषद् को अपना कार्य समाप्त कर देना चाहिये। श्रीमान्जी, यह नितान्त आवश्यक है और आपने भी यह संकेत किया था कि विधान निर्माण-कार्य यथासंभव शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिये, और यदि हो सके तो नवम्बर तक हम यह कार्य समाप्त कर दें। एक बार नियम इस आधार पर बनाये गये थे कि हमको अधिक समय लगेगा। वे नियम विभागों, दलों तथा अन्य विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में थे। जिस समय ये नियम बने थे–पुराना नियम 63–यह सोचा गया था कि हाउस द्वारा विधान के सामान्य ढंग के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उसको धारा-सभा के सदस्यों में घुमाया जायेगा। उस विस्तारपूर्ण कार्यविधि में पड़ने की सर्वप्रथम तो यूं आवश्यकता नहीं है कि विधान-परिषद् के दफ्तर ने प्रश्नों की सूची का विज्ञापन द्वारा प्रचार कर दिया है जिनका उत्तर इस देश की विभिन्न धारासभाओं के सदस्यों ने दे दिया है। अतः उनकी सम्मतियां हाउस के समक्ष हैं। दूसरे परिवर्तन इतनी तीव्र गति से हो रहे हैं कि जिस गति से हमने पहले चलना चाहा था उस गति से हम नहीं चल सकते हैं। 15 अगस्त को भारतवर्ष स्वतंत्र और स्वाधीन उपनिवेश हो जायेगा। हम उस स्थिति को यथासंभव शीघ्र ही प्राप्त करना चाहते हैं और उस स्वनिर्मित विधान को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा। हमको यह बात विस्मरण नहीं करनी चाहिये कि उपनिवेशीय विधान (डोमिनियम-कान्स्टीट्यूशन) में जो कि 15 अगस्त से लागू होगा, रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये कोई स्थान नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि संघीय विधान शीघ्रातिशीघ्र लागू हो जाना चाहिये। यदि ऐसा ही है तो हमको हाउस के

सदस्यों में निश्चयों को घुमाने की अनावश्यक प्रणाली को छोड़ना पड़ेगा। इस हाउस को समस्त हितों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त है और कोई कारण नहीं कि हम अपनी कार्यवाही को अनावश्यक रूप में लम्बी क्यों बनायें। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि यह हाउस भारी दबाव और सीमित समय में कार्य कर रहा है। इस अभिप्राय की पूर्ति के लिये सदस्य देखेंगे कि संघीय विधान कमेटी की रिपोर्ट में एक व्यवस्था रखी गई है जो इस आशय की है कि पहले तीन वर्ष में विधान सरलतापूर्वक संशोधित किया जा सके। विधान के निर्माण में चूँकि हम भारी दबाव में निर्माण कर रहे हैं, संभव है अनेकों दोष रह जायें, इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि पहले तीन वर्ष में व्यवस्थाओं को संशोधित करने के लिए हम एक कड़ी विस्तृत और कड़ी योजना रखें। इसलिये रिपोर्ट द्वारा जो विषय हाउस के समक्ष रखा गया है वह यह है कि एक ओर तो सलाहकार समिति अपना कार्य पूरा करती रहेगी और दूसरी ओर मस्विदा बनाने वाली कमेटी विधान के सम्बन्धी बिलों को ले लेगी और अक्टूबर के मध्य या अन्त तक हाउस के समक्ष रखने के लिये बिल का मस्विदा तैयार कर लेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह विधान यथासम्भव जितना शीघ्र हम बना सकते हैं, बन जाना चाहिये।

एक अन्य विषय है। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हैं। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि वे यहां भारत के राजभक्त और राजनियम पालक नागरिकों के रूप में हैं और जितना शीघ्र हमसे हो सकता है उतना शीघ्र उस संघ का विधान बनाने में वे हमें पूर्ण सहयोग देंगे, जिसमें मुझे आशा है कि वे अल्पसंख्यक के रूप में आदरणीय स्थान प्राप्त करेंगे। मैं रियासत के प्रतिनिधियों का हवाला दूंगा जो यहां आये हैं, और मैं उनसे केवल एक प्रार्थना करूंगा कि समय बहुत कम है और रिपोर्ट अक्टूबर के अन्त तक या अधिक से अधिक नवम्बर के अन्त तक संघ के निर्माण करने का विचार उपस्थित करती है। विधान बनाने के इस आवश्यक कार्य में सहयोगियों के समान सदस्यों तथा रियासतों के प्रतिनिधियों के सहयोग की यह हाउस स्वभावत: आशा करता है।

रियासतों के यूनियन में सम्मिलित होने की रीति के सम्बन्ध में मुझे विश्वास है कि आरम्भ में जो कुछ भी संदेह उन्हें हुये थे, वे परिषद के कार्य करने के ढंग से तथा कुछ दिन पूर्व माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा दिये गये वक्तव्य से जो कि रियासतों को पूर्ण आश्वासन देता है, दूर हो गये होंगे।

[श्री के.एम. मुंशी]

जहां तक विधान-परिषद् के सदस्यों का सम्बन्ध है वे चाहते हैं कि रियासतें सम्मिलित हों। 16 मई की योजना के आधार पर मुझे विश्वास है कि रियासतों के प्रतिनिधि शीघ्र ही निश्चय पर पहुंचने में समान रूप से हर्षित होंगे।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं हमारी यहां की कार्यवाहियों के लिये समय ही सारभूत है। हमें शक्तिशाली भारत के—जो कि महान और शक्तिवान होगा—विधान बनाने के दृढ़ उद्देश्य के साथ संसार का सामना करना है। मुझे भय है कि संसार एक और संकट की ओर अग्रसर हो रहा है, और जब वह संकट उपस्थित हो—ईश्वर करे वह कभी न हो—तो वह हमें तत्पर पायें।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट को विचारार्थ हाउस के समक्ष रखता हूं।

मुझे इस संशोधन के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, जिसको श्री के. सन्तानम् पेश करने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास: जनरल): श्रीमानजी, मैं यह पेश करने का निवेदन करता हूं कि:—

प्रस्ताव के अन्त में निम्न भाग जोड़ दिया जाये:

''आगे यह निश्चय किया जाता है कि पैरा तीन के अलावा रिपोर्ट स्वीकार की जाये और मौलिक अधिकारों तथा कबायली तथा पृथक क्षेत्रों की सलाहकार कमेटी से किसी निकट तिथि में और यदि हो सके तो इस अधिवेशन के समाप्त होने के पूर्व उन सामान्य सिद्धान्तों को तय करने के लिए कहा जाये जो कि अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में है, और जिन्हें विधान में रखना है ताकि विधान के मस्विदे में शामिल करने के पूर्व परिषद् उन सिद्धान्तों पर विचार कर सके और निर्णय दे सके। और जब ये सिद्धान्त इस प्रकार स्वीकार कर लिए जायें तब पैरा तीन में प्रस्तावित कार्य विधि का अनुसरण किया जाये।''

इस संशोधन की आवश्यकता पर मुझे अधिक नहीं कहना है। हम सब जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्ध में जिन सिद्धांतों का पालन करना है उनसे हमारे मस्तिष्कों पर कितना अधिक जोर पड़ा है। यदि वे सिद्धांत विधान के मस्विदों में शामिल कर लिये जाते हैं तो हम उनके परिवर्तन

करने में अपने आपको एक विशेष प्रकार की असुविधा में डालेंगे। मस्विदे के प्रकाशित होने, प्रचार करने तथा समाचार पत्रों और जनता में उस पर टीका-टिप्पणी होने के पश्चात् यदि किसी मुख्य परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो यह बड़ी हृदय वेदना का विषय होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि विधान के अन्य सिद्धांतों के समान निर्वाचकों, मताधिकारों तथा ऐसे और विषयों के सिद्धांतों को पहले स्वीकार किया जाये और इसके बाद उनको मस्विदे में रखा जाये।

***अध्यक्षः** क्या कोई सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाउस के समक्ष अपने विचार प्रकट करना चाहता है ?

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगालः जनरल)ः अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस में नवागन्तुक हूं। श्री के.एम. मुन्शी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मुझे यह विदित होता है कि जो विषय विचारार्थ प्रस्तावित किया गया है वह आर्डर आफ बिजनेस कमेटी की आगे की रिपोर्ट है। इसका आशय यह है कि कोई रिपोर्ट पहली भी थी। हमारे पास उसकी कोई प्रति नहीं है। इससे हमें असुविधा होती है। हमारे लिये यह जान लेना कि अब तक क्या हुआ, अत्यंत आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि हमारे पास 16 मई और 3 जून की घोषणाओं की सरकारी प्रतियां भी होनी चाहियें। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें पढ़ा है, फिर भी हम उनकी सरकारी प्रतियां रखना चाहेंगे। केवल तभी हमारे लिए उचित रीति के अनुसार कार्य में अग्रसर होना संभव हो सकता है।

प्रस्तावक महोदय ने मुस्लिम लीग के सदस्यों से भारत के राजभक्त तथा राज-नियम पालक नागरिक बनने की प्रार्थना की है। मैं सोचता था कि इस बात में, कि हम यहां राजभक्त तथा राज-नियम-पालक नागरिक के समान आये हैं, किसी भी शंका की गुंजायश न थी। (*करतल ध्वनि*) मैं उचित सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं कि हम यहां यथासम्भव शीघ्र विधान बनाने को इस सभा के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये आये हैं। लेकिन इसके पूर्व कि हम सभा में लाभदायक भाग ले सकें हम नवागन्तुकों को पहली रिपोर्टों, वाद-विवादों और अन्य प्रसंग सम्बन्धी पत्रों के अध्ययन करने के लिए कुछ समय चाहिए।

श्री आर.वी. धुलेकर (यू.पी.) : जनरल श्रीयुत मुंशी ने जो रिपोर्ट आपके सामने पेश की है और जो अब तक इस कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली को काम करना चाहिये था उसके बारे में जो बातें बताई गई हैं, उनसे मैं सहमत हूं। दो-चार

[श्री आर.वी. धुलेकर]

प्रश्न जो कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली के सामने आयेंगे उनके सम्बन्ध में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अभी हाल में कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई हैं जिनकी वजह से कुछ कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के मेम्बराम बाहर हो गये और नये यहां पर चुनकर आ गये। जो नए मेम्बर साहिबान आये हैं उनको कुछ दिन लगेंगे, जब कि वह पूरी कार्यवाही, जो कि हम कर चुके हैं, उसको वह समझ सकें। इस तरीके से जो कुछ कार्यवाही, आज छः महीने से वर्तमान कांस्टीट्युयेंट असेम्बली कर सकी है, वही बातें हमें फिर से समझनी हैं; और हम उन बातों पर जब तक फिर से गौर न कर लें तब तक हम कैसे आगे बढ़ें, इस बात के ऊपर गौर करना है। हम इस बात को देखते हैं कि जब कि हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हो गये हैं तो हम इस बात को देखना चाहते हैं कि जो कांस्टीट्युयेंट असेम्बली बनी थी और जो उनका पहला दृष्टिकोण था वह वैसे का वैसा ही आज रहना चाहिए या उसमें तब्दीली होनी चाहिए। इस पर भी हमें विचार करना है। क्योंकि बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं जो एक समय तो उपयुक्त होती हैं परन्तु जब समय बदल जाता है तो उस समय वह उपयुक्त नहीं रहतीं। पिछली दो-चार महीने की कार्यवाही के सम्बन्ध में पहली बात यह देखना है कि पहले उद्देश्य का प्रस्ताव जो हमारे सामने पेश हुआ था उसमें हमने यह वचन दिया था कि जो लोग इस हिन्दुस्तान में रहते हैं उनका सब प्रकार से उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी सभ्यता का सब तरह का संरक्षण किया जायेगा। अब हमें यह सोचना है कि जो इन तीन बातों के माने पहले थे, आया उन बातों के माने अब भी वैसे के वैसे ही रहेंगे या कुछ हमको बदलना है। मैं समझता हूं कि अब दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव पहले पास हो चुका है और जिस दृष्टिकोण से प्रस्तावों के ऊपर यहां बहस हुई है उनको बदलने की हमें आवश्यकता है। पहले जब कि मैंने प्रश्न किया था उस वक्त मैंने यह कहा था कि हमारी इस कांस्टीट्युयेंट असेम्बली की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख अब यह बात पेश करूंगा कि आप कृपा करके इस पर विचार करें कि अब हमारी भाषा और उसके साथ क्या स्क्रिप्ट या लिपि होनी चाहिए। दूसरी बात जो कि रिपोर्ट में है वह अक्टूबर या नवम्बर की है। ऐसा कहा जाता है कि यह कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली अब सेन्ट्रल असेम्बली में परिवर्तित हो जायेगी और इसके लिऐ हो सकता है कि प्रान्त से चुने हुए जो लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर यहां पर आये हुये हैं उनकी क्या परिस्थिति होती है; इस पर भी हमको विचार करना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो प्रान्तीय असेम्बली के मेम्बरान यहां आये हैं, उनसे यह सिफारिश की जायेगी कि वह यहां से वापस चले जावें।

अध्यक्षः मि. धुलेकर, मैं समझता हूं कि जो सवाल हमारे सामने पेश है उससे आप बहुत दूर चले गये हैं।

श्री आर.वी. धुलेकरः नहीं, मैं बहुत दूर नहीं गया हूं।

अध्यक्षः मैं समझ रहा हूं कि मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा ख्याल यह है कि आप बहुत दूर बदल गये हैं। हमारे सामने सवाल यह है कि हमारे सामने जो प्रोग्राम या टाइम-टेबल इस रिपोर्ट में पेश किया है, हम उसे मंजूर करते हैं। आप इतने सवालों को ला रहे हैं और जो कान्स्टीट्यूशन का सवाल आप यहां पेश करना चाहते हैं तो यह मौका नहीं है।

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं क्षमा चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम श्री मुंशी ने पेश किया है उस प्रोग्राम के अनुसार मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो बिजनेस कमेटी बैठी है वह इस बात को सोचती है कि इस प्रकार के नये चुनाव या कोई ऐसी बात न पेश हो जिसमें समय की देरी हो। इसलिए मैं इस बात की सिफारिश करूंगा कि इस समय कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के मेम्बर बने हुऐ हैं वही मेम्बरान आखिर तक जब तक कि कांस्टीट्युशन न बन जाये तब तक काम करें।

अध्यक्षः यह सवाल तो इस वक्त उठता ही नहीं है कि कौन मेम्बर इसके रहेंगे और कौन इसके मेम्बर नहीं रहेंगे। सवाल इस वक्त सीधा और छोटा-सा यह है कि यह टाइम-टेबल कमेटी ने बनाकर पेश किया है उसे आप इस वक्त मंजूर करते हैं या नहीं। इस वक्त यह भी सवाल नहीं है कि कौन-सी भाषा रहेगी। इस सम्बन्ध में जो कुछ आप कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। इस वक्त जो चीज़ें आपके सामने पेश हैं और जो टाइम-टेबल आपके सामने रखा गया है उसके सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं क्षमा चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के लिए यह सुविधा होगी कि जो सदस्य इस समय मौजूद हैं जिन्होंने सारा समय इसके लिए लगाया है वह सदस्य यदि अक्टूबर तक, जब तक कि पूरा कान्स्टीट्यूशन न बने तब तक मौजूद रहें।

अध्यक्षः फिर वही सवाल आप कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको और तमाम हाउस को बतला दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं वह उसके मेम्बर हैं। फिर अगर किसी के रहने का इरादा होगा तो उस वक्त यह सवाल उठेगा।

श्री आर.वी. धुलेकरः मुझे संतोष है। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं कि कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली के इस सेशन में किसी समय ऐसा मौका दिया जाये कि इस समय तक जितना काम हमने किया है और जो कुछ बातें आगे आने वाली हैं, वह अगर किसी समय हमारे सामने उपस्थित की जायें और हमको मौका मिलना चाहिये कि उस पर सोच-विचार कर सकें। इतना ही मुझे कहना है।

***हाजी अब्दुल सत्तार हाजी इशहाक सेठ** (मद्रासः मुस्लिम): मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण संशोधन को सदस्यों में नहीं घुमाया गया है। मैं संशोधन का विरोध नहीं कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है और मैं इसके पक्ष में हूं, परन्तु बिना उसकी प्रति के उसे समझना बहुत कठिन है। क्या मैं आपसे इस सहायता के लिये निवेदन करूं कि आप यह देख लिया करें कि ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन (जहां तक सम्भव हों), सदस्यों में ठीक समय में घुमा दिये गये हैं ?

***अध्यक्षः** मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि महत्वपूर्ण संशोधन की ठीक समय पर सूचना दी जानी चाहिये जिससे कि सदस्यों को अध्ययन करने का अवसर मिल जाये।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्त प्रांतः जनरल): अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपसे जरा और जोर से बोलने का निवेदन कर सकता हूं। आपके ध्वनिवर्धक यंत्र के द्वारा बोलने पर भी हम आपको नहीं सुन सके।

***अध्यक्षः** मुझे बहुत खेद है, पर इसके पूर्व किसी ने भी शिकायत नहीं की।

माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरूः अब हम आपको सुन सकते हैं।

***अध्यक्षः** लेकिन मेरे ख्याल से तो मैंने अपनी आवाज तेज नहीं की है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्त प्रांतः जनरल): यह आपमें और ध्वनिवर्धक यंत्र में फासले के कारण है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास: जनरल): श्री मुंशी ने प्रस्ताव पेश करते हुए जो कुछ कहा है उसके सम्बन्ध में मैं एकाध शब्द कहना चाहता हूं। जो कुछ हुआ है उसमें मैं बहुत खुश नहीं हूं। यद्यपि मैंने और मेरे दूसरे हमख्याल वालों ने वर्तमान परिस्थितियों में स्वयं इसी तजवीज को सबसे अच्छा मान लिया है। श्रीमान्जी, मुझे प्रसन्नता है कि मुस्लिम लीग के सदस्य यहां आ गये हैं। जहां तक उनका भारतीय संघ के निवासियों के रूप में सम्बन्ध है, मुझे खुशी है कि बहुत-सी रियासतें भी आ गई हैं। मुझे और भी खुशी होती यदि समस्त भारतवर्ष का यहां प्रतिनिधित्व होता। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि श्री मुंशी जो कि अखंड हिन्दुस्तान के हामी थे अब समान रूप से इस तजवीज के पक्ष में हैं। मेरा निजी विचार है कि 16 मई की तजवीज सबसे अच्छी थी। मुझे खेद है कि उस तजवीज का परित्याग कर दिया गया। लेकिन जो कुछ हो गया उस पर हम न पछतावें। यद्यपि जो कुछ हुआ है वह वर्तमान परिस्थितियों में उत्तम है, फिर भी हम सबको उस दिवस की आशा रखनी चाहिये जब हम फिर एक होंगे। यदि 16 मई के प्रस्ताव पर जो कि सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था, दृढ़ रहते तो बंगाल का विभाजन, पंजाब का विभाजन, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रदेश का अलग होना, सिलहट का हाथ से जाना यह सब बातें न होतीं।

***अध्यक्ष:** मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूं, लेकिन उसके लिए श्री मुंशी पर दोषारोपण करने से क्या लाभ।

***मि. एच.एस. प्रेटर** (मद्रास: जनरल): श्रीमान्जी, मैं संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा होता हूं। हम उन नवीन प्रान्तीय विधान के सिद्धान्तों पर विचार कर रहे हैं जिनका अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इन सिद्धान्तों की स्वीकृति पर इसी अधिवेशन में निर्णय किया जा सकता है। मैं इसलिए प्रस्ताव रखता हूं कि माइनोरटीज कमेटी को उन सिद्धान्तों पर विचार करने का शीघ्र अवसर दिया जाये और उनके विचारों पर अंतिम स्वीकृति के पूर्व इस परिषद् द्वारा उचित विमर्श किया जाये। मैं इसीलिए इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री सन्तानम् द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का समर्थन करने में मुझे बड़ी खुशी है। यद्यपि यहां अपनी कार्यवाही का पालन करने में शीघ्रता की आवश्यकता का हम पूर्ण सम्मान करते हैं, फिर भी

[श्री जयपाल सिंह]

मैं अनुभव करता हूं कि पृथक क्षेत्रों की उप-समिति की रिपोर्ट का इसी अधिवेशन में उपस्थित करना असम्भव है। यह विचार रखा गया है कि बड़े-बड़े सिद्धान्तों का इस अधिवेशन में निश्चय कर दिया जाये। परन्तु जैसी सूरत है, पृथक क्षेत्रों की उप-समिति को अभी बिहार और संयुक्त प्रान्त के पृथक तथा आंशिक पृथक क्षेत्रों को देखना है। जबकि इन दो प्रान्तों को संभवतः वर्षा ऋतु में नहीं देखा जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि आदिवासियों की समस्या पर तथा उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिनका आदिवासियों पर प्रभाव पड़ता है इस अधिवेशन में निर्णय करना संभव हो भी सकता है, जैसा कि श्री मुंशी सुझाव रखते हैं। मेरे विचार से जैसा कि मि. प्रेटर ने बताया है यह बहुत आवश्यक है कि इस यूनियन का जनता के किसी भी विभाग को—मुझे दुख है कि मुझे 'विभाग' शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है—किसी भी भाग को उनसे सम्बन्धित तथा प्रभावोत्पादक आवश्यक विषयों पर विचार करते समय अलग न रखा जाये। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि कबायली उप-समिति (ट्राइबल सब-कमेटी) की रिपोर्ट सम्भवतः अगस्त के अंत तक तैयार हो सकती है।

मौलवी अजीज अहमद खांः सदरे मोहतरम् (अध्यक्ष महोदय) मुंशीसाहब ने जो तजवीज जनाबे वाला के सामने पेश की है मुझको उससे इख्तलाफ (मतभेद) है और जो तरमीम (संशोधन) उसके सिलसिले में पेश की गई है, उससे इत्तिफाक करने के लिए हाजिर हुआ हूं। मुझे जनाबे वाला के इस इरशाद से इत्तफाक है कि यह न होना चाहिये कि अपने इस अजीमुश्शान (शानदार) काम को जिसमें बीसों मसायल (मुख्य प्रश्न) हमें तय करना है काफी तौर पर बगैर गौर किये हुए हम जल्द से जल्द खत्म कर दें। जनाबे वाला ने इरशाद फरमाया था कि हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि हमारे पास वक्त कम और काम ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि हम काफी गौरोफिकर के साथ हिन्दुस्तान का दस्तूर (विधान) बनायें। बरखिलाफ इसके इस तजवीज में मैं यह पाता हूं कि मुहर्रिख साहब (प्रस्तावक महोदय) का ख्याल है कि वह तीनों कमेटियों का इन्तहायी (बहुत) अहम् (खास) है और जिनकी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं होने पाई है; जब तैयार हों इस असेम्बली में उनके पेश होने की जरूरत बाकी न रहे।

इस कांस्टीट्युयेंट असेम्बली में बगैर इन पर गौरोफिकर किये हुये वह आगे बढ़ा दी जाये और दस्तूरे हिन्द (भारतीय विधान) के हुदूद में (सीमा में) इसके

मुताबिक दफाआत मुरत्तब कर दी है (बना दी है)। दस्तूर (विधान) में यह तजवीज इस तरह से है:–

> ''तदनुसार हम प्रस्ताव करते हैं कि यह परिषद् विधान के मसविदे पर विचार करने के लिये किसी समय माह अक्टूबर में, यदि आरम्भ में हो सके तो और भी अच्छा है, अध्यक्ष को अधिवेशन बुलाने का अधिकार दे।''

जनाबे वाला, जहां तक फंडामेंटल राइट्स का ताल्लुक है, हमको इस बात का मौका मिलना चाहिये कि हम इस पर काफी गौरोफिकर करने के बाद अपनी राय का इजहार करें और मस्विदा तैयार करने वालों को अपनी सोची हुई तजवीज सुपुर्द करें।

***अध्यक्ष:** कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली ने जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सम्बन्ध है, काफी गौर किया है और उसको मंजूर कर लिया है। अब सिर्फ माइनोरिटी कम्युनिटी की रिपोर्ट और ट्राइबल एरिया की रिपोर्ट बाकी है।

मौलवी अजीज अहमद खां: ऐसी हालत में तजवीज में जो इबारत लिखी गई है वह गलत है, क्योंकि इस तजवीज में फन्डामेंटल राइट्स की कमेटी का तसकरा साफ अलफाज में है। जहां तक ट्राइबल एरिया कमेटी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं मौजूदा हालत में वह तकरीबन बेकार होगी। क्यों बेकार होगी, यह आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन माइनोरिटीज कमेटी की रिपोर्ट कब्ल इसके (इससे पहले) दस्तूर (विधान) में रखी जाये, मुनासिब यह होगा कि वह पहले कांस्टीट्युयेंट असेम्बली के सामने पेश की जाये और हमको उस पर गौर करने का पूरा मौका दिया जाये और गौर करने के बाद जो तरीकेकार हो उसी के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार हो। लिहाजा जैसा कि सदरे मौहतरम ने अपनी इब्तदाई तकरीर (पहले भाषण) में इजहार फरमाया है, इन उमूर (कामों) में जल्दी न करनी चाहिये जिससे काम खराब हो। इस बुनियाद पर इस तजवीज की मैं मुखालिफत करता हूं और तरमीम से इत्तफाक करता हूं।

***डा. मोहन सिंह मेहता** (उदयपुर): श्रीमान्जी, संभव है मेरी भूल हो पर मैंने मुंशी के वक्तव्य से यह समझा कि उनको श्री सन्तानम् के संशोधन की पहले से जानकारी थी और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था।

***अध्यक्षः** एक प्रकार से श्री मुंशी ने यह कहा कि वे श्री सन्तानम् के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके हैं। यद्यपि श्री सन्तानम् ने नियमपूर्वक संशोधन पेश नहीं किया था फिर भी श्री मुंशी ने उसे स्वीकार कर ही लिया।

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः जनाबे सदर, मैंने बहुत गौर से तमाम उन तकरीरों को जो इस वक्त हुई हैं सुना, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर इस चीज पर इतनी तकरीरें क्यों हुई। श्री मुंशी ने भी जो तकरीर की, बदकिस्मती से वह भी मेरी समझ में नहीं आई। बहरहाल यह एक छोटी-सी बात है कि किस तरह हमारा आयन्दा काम हो और हमें आयन्दा के कामों के उसूल को तय करना है। इस चीज से कोई मतलब नहीं कि इस सेशन में काम पूरा करें या नेक्सट् सेशन में पूरा करें। लेकिन हमारे सामने एक नक्शा होना चाहिये। श्री मुंशी ने एक नक्शा पेश किया है, उस पर हम गौर करके कोई फैसला करें। आखिर इसमें बहस किस बात की है ? जितना काम इस सेशन में खतम हो सकेगा, खतम करेंगे और जितना काम बाकी रह जायेगा वह अक्टूबर या नवम्बर के सेशन में खतम करेंगे।

श्री महमूद शरीफः जनाबे सदर, मौलवी अजीज अहमद साहब ने जो तकरीर आपके सामने पेश की है मैं उसकी ताईद करता हूं। आपने अपनी तकरीर के दौरान में फरमाया कि कोई तजवीज, कोई कानून या कोई मसविदा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, जब तक कि माइनोरटीज का तहफ्फुज (सुरक्षा) काफी तौर पर और इतमीनानबक्स (संतोषजनक) न हो। यह उसूल बहुत ज्यादा अहम है, जिसकी तरफ मौलवी साहब ने आपकी तवज्जह मबजूल (ध्यान आकर्षित) की है। आप जानते हैं कि अगर यह तजवीज जिस तरह है मंजूर कर ली गई, तो माइनोरटीज में इख्तलाफात और दिलों में पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी। इस वास्ते बेहतर बात यह है कि इसका जल्द से जल्द फैसला करना चाहिये। और जब तक हम इसका हल न हासिल कर सकेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि तजवीज की ताईद करना कब्ल-अजवक्त (समय से पूर्व) होगा। इसलिये मैं तजवीज की मुखालिफत करता हूं और अजीज अहमद साहब की तकरीर की लफ्ज बलफ्ज ताईद करता हूं।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्त प्रांतः जनरल): अध्यक्ष महोदय, क्या आप संशोधन को फिर से पढ़ दीजियेगा ?

***अध्यक्षः** श्री संतानम् द्वारा पेश किया हुआ संशोधन इस प्रकार है, यह प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाये:-

''आगे यह निश्चय किया जाता है कि पैरा 3 के अलावा रिपोर्ट स्वीकार की जाये और मौलिक अधिकारों और कबायली तथा पृथक क्षेत्रों की सलाहकार कमेटी से किसी निकट तिथि में और यदि हो सके तो इस अधिवेशन के समाप्त होने के पूर्व उन सामान्य सिद्धान्तों को तय करने के लिये कहा जाये जो कि अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में हैं और जिन्हें विधान में रखना है ताकि विधान के मसविदे में शामिल करने के पूर्व उन सिद्धान्तों पर परिषद् विचार कर सके और निर्णय दे सके और जब ये सिद्धान्त इस प्रकार स्वीकार कर लिये जायें तब पैरा 3 में प्रस्तावित कार्य विधि का अनुसरण किया जाये।''

मि. बी. पोकर साहब बहादुर (मद्रास: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उस अयोग्यता को स्वीकार करूं जिसके कारण मुझे कष्ट हो रहा है और जिससे मैं अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में परिषद् की जो कार्यवाहियां हो चुकी हैं उन्हें नहीं समझ सका हूं। मैं इसलिये प्रधान महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो कार्यवाही यहां होती है उसका वे अंग्रेजी में प्रतिपादन करने की व्यवस्था करें। (*करतल ध्वनि*) अन्यथा कार्यवाहियों को समझना और उनमें भाग लेना हमारे लिये बहुत कठिन होगा। निस्संदेह मैं तो सहमत हूं कि एक सार्वजनिक भाषा, सार्वदेशिक भाषा तथा एक राष्ट्रीय भाषा का होना आवश्यक है। मैं इस सबसे सहमत हूं। लेकिन हमें तथ्यों को भी जिस रूप में वे हैं उसी रूप में स्वीकार करना है। विधान-परिषद् की वर्तमान रचना में ऐसे सदस्य हैं जो विभिन्न भाषाओं से परिचित हैं। हम सब जानते हैं कि इस परिषद् के समस्त सदस्य उर्दू से या हिंदी से परिचित नहीं हैं। ऐसे भी कुछ सदस्य होंगे जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, परन्तु मैं यह मानता हूं कि अधिकांश सदस्य अंग्रेजी से परिचित हैं। इसलिये यह एक लाभदायक प्रणाली होगी, यदि अध्यक्ष महोदय हम सबको कार्यवाहियों से परिचित कराने का मार्ग खोज निकालें।

श्रीमान् जी, हाउस के समक्ष उपस्थित प्रस्ताव से सम्बन्धित विषय पर आने के पूर्व मैं उन परिस्थितियों के विषय में एक दो शब्द कहूंगा जिनके कारण हम मुस्लिम लीग के सदस्य यहां आये हैं और इन कार्यवाहियों में भाग लेने का निर्णय कर चुके हैं। श्रीमान् जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि हम संसार के इतिहास में एक अपूर्व घटना होने के पश्चात् यहां एकत्रित हुये हैं। अर्थात् खून की एक बूंद बहाये बिना भारत तथा पाकिस्तान दोनों के लिये स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात्.....

***अनेक माननीय सदस्य:** ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।

***मि. बी. पोकर साहब बहादुरः** मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे अनेक सदस्य हैं.....

***श्री देवी प्रसाद खेतान** (पश्चिमी बंगालः जनरल): मैं एक वैधानिक आपत्ति पेश करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य का वक्तव्य हाउस के समक्ष विचारणीय विषय से पूर्णतः परे है। श्रीमान् जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि उनसे हाउस के समक्ष प्रस्ताव की सीमा में रहने के लिये कहा जाये।

***अध्यक्षः** मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस कार्य को मुझ पर छोड़ दें।

***मि. बी. पोकर साहब बहादुरः** मैं लोगों की भावनाओं को जानता हूं। श्रीमान् जी, अनेकों क्षेत्रों में यह दुखदायी भावना है कि भारतवर्ष जिस रूप में पहले था, उससे अब विस्तार में कम हो गया है और एक दूसरा राज्य अर्थात् पाकिस्तान....

***अध्यक्षः** क्या आप अपने को हाउस के समक्ष उपस्थित प्रस्ताव पर सीमित रखेंगे ?

***मि. बी. पोकर साहब बहादुरः** श्रीमान् जी, मैंने केवल इसलिये इस बात का हवाला दिया कि हम एक ऐसी घटना के पश्चात् यहां इस समय एकत्रित हुए हैं, जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं है।

हम सब प्रसन्न हैं कि हम यहां एकत्रित हुये हैं और मैं श्री मुंशी को उनके श्रेष्ठ वक्तव्य के लिये बधाई देता हूं और उस सुंदर प्रवृत्ति के लिये बधाई देता हूं कि जिससे प्रेरित होकर उन्होंने वह वक्तव्य दिया है जो कि समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों से संयुक्त कार्य कराने में सहायक होगा। यह देखकर मुझे दुख हुआ कि एक अन्य माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में विरोधी भाव प्रकट किया और मुझे विश्वास है कि उनका ऐसा करना उनके लिये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमें तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करना है और मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक विभाजन से सम्बन्ध है वह तो दो प्रमुख संस्थाओं–इस देश की दो महान् संस्थाओं–अर्थात् कांग्रेस और लीग के समझौते का विषय है। दोनों संस्थाओं द्वारा विभाजन स्वीकार कर लेने पर, विभाजन के प्रश्न पर विलाप करने के लिये कुछ नहीं रहता।

***अध्यक्षः** क्या मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाऊं कि वे हाउस के समक्ष उपस्थित प्रस्ताव की सीमा में रहें। वे विषय से बहुत परे हो गये हैं।

***मि. बी. पोकर साहब बहादुरः** मैं केवल उसी विषय को ले रहा हूं जिस पर श्री मुंशी बोल चुके हैं और एक अन्य माननीय सदस्य ने जो उत्तर दिया है, उसका हवाला दे रहा हूं। यदि मैं इन परिस्थितियों में नियम-विरुद्ध हूं तो मैं आपके निर्धारित सिद्धान्त (नियम निर्देशन) का सम्मान करता हूं और आगे कुछ नहीं कहना चाहता। श्री मुंशी ने मुस्लिम लीग के सदस्यों से भारत के राजभक्त नागरिक बनने और सहयोग देने की प्रार्थना की है। निस्सन्देह यह आश्वासन है ही और मुस्लिम लीग के सदस्य इस विधान-परिषद् में भक्तिपूर्वक सहयोग देंगे और दूसरी ओर से प्रत्युत्तर में वे सहयोग की आशा भी करते हैं।

श्रीमान् जी, जहां तक हाउस के समक्ष प्रस्ताव का सम्बन्ध है, निस्सन्देह उसे स्वीकार करना है। श्री सन्तानम् के संशोधान का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

***अनेक माननीय सदस्यः** अब वोट ली जाये।

***माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त** (संयुक्त प्रांतः जनरल): मैं यह प्रस्ताव पेश करने को था कि अब वोट ली जाये।

***अध्यक्षः** मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। मेरे ख्याल से हाउस अब और अधिक वाद-विवाद नहीं चाहता है। मैं श्री सन्तानम् के संशोधन को हाउस के समक्ष रखता हूं।

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** संशोधित प्रस्ताव हाउस के समक्ष रखा जाता है। संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

नियमों में संशोधन

***अध्यक्षः** दूसरा विषय विधान-परिषद् के नियमों में संशोधन सम्बन्धी अनेकों प्रस्ताव हैं। श्री मुंशी उन्हें पेश करेंगे।

***श्री के.एम. मुंशीः** अध्यक्ष महोदय, स्टीअरिंग कमेटी की ओर से जिन संशोधनों को पेश करने का मुझे गौरव है, वे वास्तव में रिपोर्ट में स्वीकार किये गये आधार

[श्री के.एम. मुंशी]

पर हैं। आपकी आज्ञा से मैं एक नियम लूंगा। श्रीमान् जी, मैं पेश करता हूं कि:

''भारतीय विधान-परिषद् के नियमों में निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये:

'नियम 2 वाक्य खंड (ख) में से शब्द 'section or' निकाल दिए जायें। वाक्य खंड (च) को निकाल दिया जाये'।''

***अध्यक्ष:** क्या कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है? मि. मुंशी द्वारा प्रेषित इस प्रस्ताव पर मैं राय लेता हूं।

(इस समय कुछ सदस्यों ने कहा कि उनको कार्य पद्धति की नियमावली नहीं दी गई है।)

मुझसे यह कहा गया है कि सदस्यों के पते से नियमावली भेज दी गई है। परन्तु फिर भी जितनी प्रतियां दफ्तर में उपलब्ध हैं नये सदस्यों को दे दी जायेंगी।

***श्री सारंगधर दास** (उडीसा: जनरल): इस वाद-विवाद को हम कल पर रखेंगे।

***सर ए. रामस्वामी मुदालियर** (मैसूर): श्रीमान् जी, मैं इस सुझाव का समर्थन करना चाहूंगा कि नियमों पर कल विचार किया जाये।

***अध्यक्ष:** संशोधन नियमानुकुल है। परन्तु यदि सदस्य इस कार्य को कल पर रखना चाहते हैं तो मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी। कुछ सदस्यों को यह आपत्ति है कि उन्हें परिषद् की नियमावली नहीं मिली है और संशोधनों के पेश करने के पूर्व वे उन्हें प्राप्त करना चाहेंगे। ऐसी हालत में और कोई सूरत नहीं है सिवा इसके कि नियमों पर कल तक वाद-विवाद स्थगित किया जाये। कुछ और प्रस्ताव हैं जिनको हम ले सकते हैं।

कमेटियों के लिए सदस्यों का चुनाव

***अध्यक्ष:** इसके बाद उपाध्यक्षों के चुनाव सम्बन्धी मद् हैं। यह आज नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह नियम में परिवर्तन पर निर्भर है, इसलिये इसको भी तब तक स्थगित करना पड़ेगा जब तक कि हम नियमों पर संशोधन को पास न कर लें। श्री सत्यनारायण सिनहा इसके बाद का प्रस्ताव पेश करेंगे।

***डा. पट्टाभि सीतारमैया** (मद्रास: जनरल): दो उपाध्यक्षों का चुनना नियम-विरुद्ध नहीं है। हम इस कार्य को कर सकते हैं।

***अध्यक्षः** हम उसको बाद में ले सकते हैं।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहारः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से जो प्रस्ताव है वह ज़ाब्ते का हैः

''यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद् सदस्यों में से विधान-परिषद् के नियम 42 (1) के अनुसार स्टाफ एंड फाइनेंस कमेटी के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन करे।''

श्रीमान् जी, आपको यह विदित है कि पिछली बार इस हाउस में हमने स्टाफ एन्ड फ़ाइनेंस कमेटी का चुनाव किया था। जो पहले सदस्य चुने गये थे वे अब इस हाउस के सदस्य नहीं हैं। इसलिये वे उस कमेटी के सदस्य भी नहीं रहे। अतः उस कमेटी में कुछ रिक्त स्थान हैं। अध्यक्ष को यह निश्चित करना है कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार हो। अतः आपकी स्वीकृति के लिये मैं इस प्रस्ताव को रखता हूं।

***अध्यक्षः** श्री सत्यनारायण सिन्हा ने यह प्रस्ताव पेश किया हैः

''यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद् सदस्यों में से विधान-परिषद् के नियम 42 (1) के अनुसार स्टाफ एंड फ़ाइनेंस कमेटी के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री सत्यनारायण सिन्हाः** श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूंः

''यह निश्चय किया जाता है कि यह असेम्बली, सदस्यों में से विधान-परिषद् के नियम 44 (3) के अनुसार क्रिडेंशियल कमेटी के लिए तीन सदस्यों का निर्वाचन करे।''

पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा वही मुझे कहना है। कमेटी के लिये जो सदस्य पहले चुने गये थे वे अब हाउस के सदस्य नहीं रहे। इसलिये अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाने वाली रीति के अनुसार अपने वर्तमान सदस्यों से हाउस को तीन सदस्य चुनने हैं।

***एक माननीय सदस्यः** हमारे पास नियम नहीं हैं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव केवल यह है कि कुछ कमेटियों के लिये नियमों के अनुसार कुछ सदस्यों का चुनाव करना है। यदि हम प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो फिर

[अध्यक्ष]

नियमों के अनुसार सदस्यों का चुनाव करेंगे। मैं ख्याल करता हूं कि सदस्यों के चुनने के पूर्व आपको नियम मिल जायेंगे। (*हंसी*)। मैं नहीं समझता हूं कि इस पर भी किसी वाद-विवाद की आवश्यकता है। मैं प्रस्ताव पर वोट लेता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

''निश्चय किया जाता है कि यह असेम्बली, सदस्यों में से विधान-परिषद् के नियम 45 (2) के अनुसार हाउस कमेटी के लिये तीन सदस्यों का निर्वाचन करे।''

पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कुछ मैंने कहा वही मुझे फिर कहना है। क्योंकि इस कमेटी के लिए चुने गये पहले सदस्य अब हाउस के सदस्य नहीं रहे...।

***अध्यक्ष:** क्या मैं अब इस पर भी वोट लूं?

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव रखता हूं:

''निश्चय किया जाता है कि यह परिषद्, सदस्यों में से विधान-परिषद् के नियम 40 (2) तथा (5) के अनुसार स्टीयरिंग कमेटी के लिये 9 सदस्यों का निर्वाचन करे।''

श्रीमान् जी, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम 40 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो इस प्रकार है :–

''परिषद् के कार्य-काल तक के लिये एक स्टीयरिंग कमेटी नियुक्त की जायेगी जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 11 सदस्य होंगे, जिनका चुनाव परिषद् आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एक परिवर्तनीय वोट द्वारा करेगी।''

पिछली बार हमने 11 सदस्य चुने थे। पहले सदस्यों में से 3 सदस्य इस हाउस के सदस्य नहीं रहे। अत: तीन आकस्मिक रिक्त स्थान हैं। आपको उसी नियम के उपनियम (2) में यह मिलेगा।

''परिषद् समय-समय पर उस प्रणाली के अनुसार जिसे वह उचित समझे, आप अतिरिक्त सदस्य चुन सकती है जिनमें से चार स्थान देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे।''

इन आठ अतिरिक्त सदस्यों में से चार स्थान रियासतों के लिये नियत किये गये थे। इन चार स्थानों के लिये पिछली बार रियासत के सदस्यों में से हमने दो चुन लिये थे, अतः रियासतों के नियत स्थानों के लिये हमें दो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अन्य चार स्थानों को हमें साधारण निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों का चुनाव कर भरना है। इन 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा करना है और तीन आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई विधि से करना है। मैं यह सुझाव पेश कर रहा हूं कि जिस विधि से हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा रियासतों के प्रतिनिधियों में से दो सदस्यों को चुना है, उसी विधि की मैं हाउस के सामने सिफ़ारिश करूंगा कि वे यह स्वीकार करें कि अन्य 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा की जाये और इन 6 रिक्त स्थानों में से दो स्थान रियासत के प्रतिनिधियों के लिये नियत किये जायें। अन्य तीन स्थानों की पूर्ति अन्य कमेटियों में जिस प्रकार की जाती है उसी प्रकार की जाये अर्थात् अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन की उस निर्धारित विधि द्वारा जिसे वे उचित समझें।

***अध्यक्षः** क्या इस विषय पर कोई वाद-विवाद करने की आवश्यकता है ? मैं इस प्रस्ताव पर वोट लेता हूं।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

उपाध्यक्षों का चुनाव

***अध्यक्षः** अब वह प्रस्ताव है जिस पर हमें विचार करना है। वह दो उपाध्यक्षों के चुनाव के सम्बन्ध में है। वर्तमान नियमों के अनुसार हाउस द्वारा दो उपाध्यक्षों का चुनाव करना है और तीन उपाध्यक्ष पद के अनुसार थे जो कि तीन विभागों के सभापति होते। अब जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है वह यह है कि चूंकि अब विभागों की बैठक नहीं होगी, विभागों के सभी हवालों को नियमों में से निकाल देना चाहिये। अतः वे तीन उपाध्यक्ष अब उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि वे विभाग ही न रहे जिनके अध्यक्ष पद के अनुसार विभागपरिषद् के उपाध्यक्ष बनते।

डाक्टर एच.सी. मुकर्जी उपाध्यक्ष थे जिनका पिछली बार चुनाव हुआ था परन्तु नवीन परिवर्तन के पश्चात् वे विधान-परिषद् के सदस्य न रहे, क्योंकि बंगाल

[अध्यक्ष]

के सभी सदस्य अब विधान-परिषद् के सदस्य नहीं हैं। उनका फिर से चुनाव हो गया है लेकिन चूंकि वे सदस्य न रहे, इसलिये उपाध्यक्ष भी न रहे। उनके स्थान में अब किसी को चुनना है। मैं नहीं जानता हूं कि सदस्य उन्हीं को फिर से चुनना पसन्द करेंगे या नहीं, यह तो भिन्न विषय है। मैं यह बता रहा हूं कि यह कोई बड़ी कठिनाई नहीं है क्योंकि यह कोई पेचीदा प्रश्न नहीं है। प्रस्ताव केवल यह है कि दो उपाध्यक्षों का चुनाव करना है। चुनाव कल हो सकता है या परसों, परन्तु इस समय तो आपको केवल यही कहना है कि उपाध्यक्षों की यह दो जगह भर दी जायें। यदि सदस्यों को कोई आपत्ति न हो तो मैं प्रस्तावक महोदय से प्रस्ताव पेश करने के लिये कहूं, परन्तु यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो मैं इसको नहीं लूंगा।

***माननीय सदस्यः** कोई आपत्ति नहीं है।

***अध्यक्षः** तो फिर श्री सत्यनारायण सिनहा, आप कृपा कर अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री सत्यनारायण सिन्हाः श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''निश्चय किया जाता है कि यह परिषद् विधान-परिषद् के नियमों में रखी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दो उपाध्यक्षों का निर्वाचन करे।''

श्रीमान् जी, आपने अभी समझा दिया है कि हमें दो उपाध्यक्षों का चुनाव करना है। पिछली बार हमने केवल एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया था और दूसरे स्थान को बाद में भरने के लिये छोड़ दिया था। डाक्टर मुकर्जी सर्वसम्मति से इस हाउस के उपाध्यक्ष चुने गये थे। बंगाल विभाजन के कारण वे इस हाउस के सदस्य न रहे। मुझे प्रसन्नता है कि उनका इस हाउस के लिये फिर से चुनाव हो गया, परन्तु नियम के अनुसार स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वे नये चुने हुये सदस्य तो हुये ही, तथा हमें अन्य उपाध्यक्षों का भी चुनाव करना है। जिस विधि से चुनाव होगा वह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी।

***डा. एन.बी. खरे** (अलवर राज्य): श्रीमान् जी, प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं यह निवेदन करूंगा कि दो उपाध्यक्षों में से.....।

***माननीय सदस्यः** कृपया ध्वनिवर्धक यन्त्र का प्रयोग कीजिये।

***डा. एन.बी. खरे:** मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूं *(हंसी)*। एक स्थान रियासतों के दल द्वारा भरा जाना चाहिये।

***अध्यक्ष:** डा. खरे, मुझे खेद है कि जो कुछ आपने कहा मैं नहीं सुन सका *(फिर से हंसी)*।

***डा. एन.बी. खरे:** श्रीमान् जी, इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं सम्मान पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि दो उपाध्यक्षों में से एक रियासत के प्रतिनिधियों में से होना चाहिये। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि रियासतों के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मैं यह चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं इस प्रस्ताव पर वोट लेता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: अब मैं कुछ निवेदन करूंगा। जब हमने यह निश्चय कर लिया कि यहां चुनाव होने चाहियें तो मुझे नामज़दगी के लिये समय नियत करना है और यदि आवश्यकता हुई तो वोट लेने के लिये भी।

मैं इस प्रकार समय नियत कर रहा हूं:

16 मई को दिन के एक बजे तक सेक्रेटरी द्वारा उम्मीदवारी के पत्र लिये जायेंगे। मैंने नामज़दगी के लिये अब से 48 घंटे दे दिये हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एक परिवर्तनीय वोट द्वारा 17 तारीख को अन्डर सैक्रेटरी के पहली मंजिल के 25 नम्बर के कमरे में दिन के तीन बजे से चार बजे तक होगा। यह उन विभिन्न उप-समितियों के सम्बन्ध में है, जिनके लिये हम अभी प्रस्ताव स्वीकार कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोई प्रश्न नहीं है, परन्तु कुछ नियम हैं जिनके अनुसार चुनाव होगा। मैंने कल दिन के 5 बजे तक उम्मीदवारी के पत्र प्राप्त करने के लिये समय नियत किया है और यदि आवश्यकता हुई तो दूसरे दिन चार बजे उसी कमरे में जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्वाचन होगा।

एक बात और है जिसे आज सभा स्थगित करने के पूर्व मैं हाउस को बताना चाहूंगा। वह कल से अधिवेशन के समय के सम्बन्ध में है। सैक्रेटरी ने साधारण

[अध्यक्ष]

कार्य-पद्धति के अनुसार यह सूचना दे दी है कि कल हम 10 बजे आरम्भ करेंगे। मैं यह कह रहा था कि यदि हम प्रतिदिन दोपहर पश्चात् 3 बजे से 6 बजे तक बैठें तो अच्छा होगा। ऐसा करने से सदस्यों को उन विभिन्न प्रस्तावों पर जो पेश किये जायेंगे, विचार करने के लिये यथेष्ट समय मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कल से हम अपना अधिवेशन दिन से 3 बजे से 6 बजे तक रखें।

***मि. तजम्मुल हुसेनः** श्रीमान् जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि दिन के 3 बजे से 6 बजे तक बैठक रखने में सदस्यों को असुविधा होगी, क्योंकि उस समय बहुत गरमी होगी। हमें बहुत दूर से आना पड़ता है और 3 बजे तक यहां आने के लिये हमें अपने घरों से लगभग 12 या 1 बजे चल देना पड़ेगा। प्रातःकाल का समय जैसा कि आज था सबसे अच्छा रहेगा। यदि आवश्यकता हो तो हम प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 या 1-30 तक सभा कर सकते हैं।

***अध्यक्षः** एक बजे वापस होने के समय दिल्ली में काफ़ी गरमी पड़ती है। इसमें कोई अन्तर नहीं है, चाहे आप दिन के एक बजे जायें या दिन के दो बजे आयें।

***बेगम ऐज़ाज़ रसूल** (संयुक्त प्रान्तः मुस्लिम): क्या मैं यह बताऊं कि कुछ दिनों के बाद रमज़ान का महीना शुरू होगा और मुस्लिम सदस्यों को दिन के 3 बजे से 6 बजे तक बैठना बहुत असुविधाजनक होगा। क्योंकि उस वक्त के बाद ही रोज़ा खोलने का वक्त होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि सुबह का वक्त ही सबसे अच्छा रहेगा।

***अध्यक्षः** मुझे नहीं मालूम कि रमज़ान कब शुरू होगा। जब वह शुरू होगा उस वक्त इस प्रश्न पर हम विचार कर सकते हैं। हर सूरत में हम कार्य 6 बजे तक तो समाप्त कर ही देते हैं जो कि सूर्यास्त से लगभग एक घंटे पहले है। यहां सूर्य सात बजे के पश्चात् अस्त होता है। मैं यह मानता हूं कि सभा मेरे सुझाव को स्वीकार करती है। सभा कल दिन के 3 बजे तक स्थगित हुई।

तत्पश्चात् परिषद् मंगलवार ता. 15 जुलाई, सन् 1947 ई. के दिन के 3 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

परिशिष्ट

संख्या वि. प./(22)/कमेटी/47
भारतीय विधान-परिषद्

आर्डर आफ बिजिनेस कमेटी की रिपोर्ट

कौंसिल हाउस,
नई दिल्ली
ता. 9 जुलाई, सन् 1947 ई.

प्रेषक

सभापति,
आर्डर ऑफ बिजिनेस कमेटी

सेवा में:

अध्यक्ष,
भारतीय विधान-परिषद्।

महोदय,

परिषद् के गत अधिवेशन में हमने एक रिपोर्ट पेश की थी जो उस समय की अनिश्चित राजनैतिक परिस्थितियों के कारण अनिवार्यत: प्रयोगात्मक थी। तब से अब तक महान् परिवर्तन हुए हैं तथा स्थिति स्पष्ट हो गई है। अंग्रेज़ी सरकार ने तीन जुलाई को एक नवीन घोषणा की है जिसको समस्त मुख्य राजनैतिक दलों ने स्वीकार कर लिया है। उस घोषणा के अनुसार निर्णय कर लेने के फलस्वरूप देश के कुछ भाग भारतवर्ष से पृथक हो जायेंगे। इन परिवर्तनों के कारण योजना के उन दोनों कार्य-पद्धति सम्बन्धी तथा मौलिक अंगों में बड़ा उलटफेर हो गया है, जिनके आधार पर हम अब तक कार्य करते चले आ रहे थे। जहां तक कार्य-पद्धति से सम्बन्ध है, परिषद् के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह विभागों में विभाजित न हो, तथा दलों के प्रश्न पर विचार करना और प्रमुख साम्प्रदायिक महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित दोहरी बहुसंख्यक व्यवस्थाओं पर विचार करना अब लाभदायक नहीं है।

इस परिस्थिति के कारण हमने 3 जुलाई को एक मीटिंग की। हमारी प्रार्थना पर पंडित नेहरू इस मीटिंग में उपस्थित हुए और जो सहायता उन्होंने हमें दी उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

2. हम समझते हैं कि अगले अधिवेशन में परिषद् के समक्ष तीन रिपोर्ट विचारार्थ पेश होंगी:

यूनियन कान्स्टीट्यूशन कमेटी की, यूनियन पावर्स कमेटी की और प्राविंशियल कान्स्टीट्यूशन कमेटी की। कमेटियों की यह तीनों रिपोर्टें ऐसे बहुत से प्रश्न रखेंगी जिन पर परिषद् को निर्णय करना होगा। हम सिफ़ारिश करते हैं कि परिषद् इन रिपोर्टों पर जुलाई के अधिवेशन में निर्णय करे और यह आदेश देते हैं कि विधान सम्बन्धी बिल के मसविदा तैयार करने के कार्य को तुरन्त ही ले लिया जाये। हम यह भी सिफ़ारिश करते हैं कि परिषद् में तथा उसके आगामी अधिवेशन में पेश करने के पूर्व मसविदे का सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिये परिषद् द्वारा सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाये।

3. जुलाई अधिवेशन के पश्चात् जो विषय रह जायेंगे वे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा कबायली और पृथक क्षेत्रों के शासन प्रबन्ध पर एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट होगी। हम सुझाव पेश करते हैं कि एडवाइज़री कमेटी अपना कार्य अगस्त में समाप्त कर दे और जो सिफ़ारिशें वह करे उनको मसविदा-लेखक अपने बिल में शामिल कर ले और इस बात का विचार न करे कि परिषद् ने अभी इन पर कोई निर्णय नहीं किया है। कोई परिवर्तन यदि बाद में आवश्यक समझा जायेगा तो उसको उपयुक्त संशोधन द्वारा बिल के मसविदे में शामिल कर लिया जाएगा।

4. पिछली रिपोर्ट में हमने यह निवेदन किया था कि परिषद् अपने कार्य को इस वर्ष अक्टूबर के अन्त तक समाप्त कर दे। हम उस सिफ़ारिश को दोहराते हैं, तथा कमेटियों की प्रगति की ओर ध्यान देते हुये हम समझते हैं कि यह साध्य है। तदनुसार हम प्रस्ताव रखते हैं कि परिषद् अध्यक्ष को यह अधिकार दे कि विधान के मसविदे पर विचार करने के लिये वे अक्टूबर में किसी समय, यदि आरम्भ में हो तो और भी अच्छा है, अधिवेशन बुलावें।

5. परिवर्तित परिस्थितियों में विधान-परिषद् के 63 नियम के अनुसार जुलाई अधिवेशन के निश्चयों को घुमाये जाने की हम कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं।

हमारी सिफ़ारिशों से नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी। हम निवेदन करते हैं कि स्टीयरिंग कमेटी इस पर विचार करे।

भवदीय-
के.एम. मुंशी, सभापति
कमेटी की ओर से